न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/76/2020 जीसीएमएस नं0 2020/00101

प्रवेश तिथि 16.12.2020

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री प्रतापसिंह एडवोकेट,
कोर्ट कैम्पस, बहरोड, तह0 बहरोड़,
जिला–अलवर (राज.)–301701

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13.01.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 10.11.20 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम (संशोधन) केतहत धारा 17, 17क के तहत एससी/एसटी के लोगों पर होने वाले अत्याचार की मोनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक किया है उपखण्ड स्तरीय सतर्कता मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की सूची सन् 2015 से आज तक हुई कमेटी की मीटिंग का विवरण राखे गये बिन्दूओं पर हुई कार्यवाही का विवरण एवं हुई बैठक का उच्च अधिकारियों को भेजा गया विवरण पृथक–पृथक वर्षवार उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 10.11.20 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 12.12.20 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2020/474–75 दिनांकः 16.12.2020 के माध्यम तलब कर दिनांकः 24.12.20 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांक आरटीआई/2020/3908 दिनांक 23.12.2020 के माध्यम से अपील का जवाब जरिये डाक प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया। P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जवाब नोटिस पत्रांक आरटीआई/2020/3908 दिनांक 23.12.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जवाब नोटिस के संलग्नक पत्रांक 20/3784 दिनांक 11.12.2020 के माध्यम से किया गया विनिश्चय विधिसम्मत है।
8. अस्तु, अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।
10. आज दिनांकः 13.01.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)